तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
25/5/18	पत्रावली आज लोक अदालत केम्प दौलतपुरा में पेश हुई। पत्रावली में प्रार्थी वारी अनुपस्थित आमि पत्रावली में प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौ० अनोपपुरा प०ह० दौलतपुरा की आ.नं. 875/607, रकबा 0.120 हे० 923/541 रकबा 0.170 हे० भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी व भूमिधरी की भूमि होकर प्रार्थीगण ही काबिज ही लेकिन विपक्षीगण आमने सामने मेरी खातेदारी की भूमि में दखलंदाजी करते है इसे धारा 107 जाब्ता फौजदारी निवेदन किया विपक्षीगण वार्ता सूचना के उपस्थित नहीं आये। प्रार्थी के सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मनन किया गया। प्रथम दृष्टया प्रार्थना पत्र वर्णित आराजीगत प्रार्थीगण की खातेदारी की होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है। विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि से महरूम हो जायेंगे। इसके विपरीत विपक्षीगण को कोई हानि होने की संभावना नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 312 को स्वीकार कर विपक्षीगण के जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है जब तक मूल वाद में अंतिम निस्तारण नहीं होता है तब तक रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें एवं विपक्षीगण प्रार्थीगण की खातेदारी की आ.नं. 875/607 रकबा 0.120 हे० भूमि में मूलवाद के अंतिम निस्तारण तक ना ही स्वयं दखलंदाजी करें एवं ना ही अपने किसी नौकर एजेण्ट से करावे। पत्रावली के तल्ख सुधार होकर नंबर से कम हो।	हजारीलाल

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner